जवानों की सुरक्षा पर राजनीति नहीं

पुलवामा हमले के बाद जवानों की सुरक्षा के मुद्दे पर देश में राजनीतिक पार्टियों ने खूब हंगामा मचाया था। अब जबकि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों के मूवमेंट के लिए हफ्ते में दो दिन तक जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद करने का फैसला लिया गया है, तो उसका भी राज्य में विरोध हो रहा है। यह गलत तरीका है। जवानों के सुरक्षा संबंधी फैसलों का सम्मान करने के साथ ही पार्टियों को राजनीतिक रोटियां सेंकने से बाज आना चाहिए।

कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमलों खासकर पुलवामा हमले के बाद जवानों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चिंता जताई गई थी। हमले के बाद सरकार पर सवाल तक उठाए गए थे। मगर जब केंद्र सरकार ने कश्मीर में हाइवे पर जवानों का काफिल गुजरने के दौरान पुख्ता व्यवस्था की, तो उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों के मूवमेंट के लिए हफ्ते में दो दिन तक जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद करने के फैसले का राज्य में विरोध हो रहा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) समेत अन्य नेताओं ने प्रदर्शन किया। नेकां के फारूक अब्दुल्ला ने हाइवे को कश्मीरियों के लिए लाइफलाइन बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने लोगों से फैसले को नहीं मानने की अपील की है।

बता दें कि सरकार ने आदेश दिया है कि बारामूला से उधमपुर जाने वाले नेशनल हाइवे पर 31 मई तक हफ्ते में दो दिन (रविवार और बुधवार) आम लोगों के लिए यातायात बंद रहेगा। अफसर के मुताबिक- चुनाव के मद्देनजर सुरक्षाबलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि श्रीनगर, काजीगुंड, जवाहर सुरंग, बनिहाल और रामबन होकर जाने वाले हाइवे पर सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक सिविलियंस का प्रवेश नहीं हो सकेगा। महबूबा मुफ्ती को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। उनका कहना है कि यह गलत है, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप कश्मीरियों को इस तरह से नहीं दबा सकते। ये हमारा राज्य है और ये हमारी सड़कें हैं, हमारे पास जब चाहें तब उन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार है। फारूक अब्दुल्ला तो सरकार को सलाह देने लगे कि सेना को ट्रेनों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उन्हें रात में सफर करना चाहिए ताकि लोगों पर इसका असर नहीं पड़े। फारूक ने कहा कि सरकार को इस आदेश को वापस लेना चाहिए। राजमार्ग कश्मीरियों के लिए लाइफलाइन है। इसे इस तरह बंद नहीं कर सकते। बता दें कि पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले में फिदायीन हमला हुआ था। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। आतंकी ने विस्फोटक से भरी कार को सीआरपीएफ काफिले की एक बस से टकरा दिया था। आतंकवादी ने 80 किलो हाई-ग्रेड आरडीएक्स का इस्तेमाल किया था। इस हमले के बाद ही जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षाबलों पर पिछले तीन दशकों में यह सबसे बड़ा हमला था। पुलवामा में सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और इसमें 2500 से ज्यादा जवान शामिल थे। जैश के आतंकी ने कार में आरडीएक्स रखकर काफिले की 5वीं बस को निशाना बनाया था।

जवानों की सुरक्षा को लेकर भले ही सियासत गर्म हो मगर सरकार का एक और फैसला सराहनीय है। कश्मीर घाटी में तैनात सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने का जो फैसला किया है, वह देर से किया गया एक जरूरी फैसला है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में चालीस से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद जांच में जो दो सबसे बड़ी खामियां निकल कर आई थीं, उनमें एक तो थी खुफिया तंत्र की नाकामी और दूसरी, इन जवानों के काफिले को बिना किसी सुरक्षा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की कवायद। तब इस बात को लेकर सवाल उठे थे कि कैसे इतने सारे जवानों को एक साथ रवाना कर दिया गया और जिन वाहनों में ये जवान सवार थे, वे सुरक्षा उपायों से लैस क्यों नहीं थे। अगर बख्तरबंद गाड़ियां होतीं तो यह बल इतने जवान नहीं खोता। इसीलिए बाद में, लेकिन देर से यह फैसला हुआ कि जवानों को अब सड़क के बजाय विमानों से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए।

सीआरपीएफ के जवानों को देश के विभिन्न इलाकों में बहुत ही जटिल हालात में काम करना पड़ता है। चाहे कश्मीर हो या उत्तर-पूर्व के राज्य या फिर छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों में नक्सलियों से लोहा लेने का मामला हो, सबसे पहले सीआरपीएफ ही मोर्चा संभालता है। इसलिए इस बल के जवानों की जान हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। इसके अलावा, चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, दंगा नियंत्रण, अतिविशिष्ट लोगों और स्थलों की सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां भी इस बल के कंधों पर हैं। खासतौर से कश्मीर और छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में इन जवानों को जिस तरह के हमले झेलने पड़ते हैं उस स्थिति में आत्मरक्षा के लिए बख्तरबंद वाहनों की जरूरत काफी समय से बनी हुई है। कश्मीर में इस वक्त सीआरपीएफ की कुल 65 बटालियनें हैं। इनके लिए बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी जाएंगी और साथ ही तीस सीटों वाली बसें भी। ये बसें भी बुलेटप्रूफ होंगी। अभी इस बल के सामने समस्या यह है कि उसके पास बुलेटप्रूफ बसें नहीं हैं। ऐसे में इन बसों को आत्मघाती हमलों या बारूदी सुरंगों के विस्फोट से बचाया नहीं जा सकता।

कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ बटालियनों के तोबम निरोधक दस्ते भी नहीं हैं। यह फैसला भी अब हुआ कि हर बटालियन के पास अपना एक बम निरोधक दस्ता होगा। ये उपाय ऐसे हैं जो आतंक से ग्रस्त इलाकों में तैनात बलों को बुनियादी सुविधाओं के रूप में सबसे पहले मिलने चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों के प्रमुख इस बात से अनजान नहीं होंगे कि कश्मीर के हालात कैसे हैं और जवानों को किन गंभीर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इसलिए सवाल यह उठता है कि आखिर बुलेटप्रूफ वाहन खरीदने के फैसले में इतनी देरी क्यों की गई! इस देरी की कीमत देश को 40 से ज्यादा जवानों की जान के रूप में चुकानी पड़ गई। क्या इसे सुरक्षा और रणनीति के स्तर पर बड़ी लापरवाही नहीं कहा जाना चाहिए? जवानों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे फैसलों में देरी कहीं न कहीं सरकार में शीर्षस्तर पर बैठे लोगों की अदूरदर्शिता को उजागर करती है। घाटी में आतंकवाद से निपटने में सेना के बाद सीआरपीएफ ही दूसरा सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो अब रोजाना की हिंसा और पत्थरबाजों से निपट रहा है।

सीआरपीएफ के जवानों के पास आज भी अत्याधुनिक हथियारों की भारी कमी बनी है। यही वजह है कि ये जवान आतंकवादी हमलों के शिकार हो जाते हैं। सीआरपीएफ को जिन चुनौतीपूर्ण और मुश्किल हालात में काम करना पड़ रहा है उसमें जवानों की सुरक्षा एक चिंताजनक पहलू है और इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमारे जवानों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी ही चाहिए। अगले कुछ दिनों में नई सरकार का गठन होने वाला है। तब जो भी सरकार दिल्ली की सत्ता संभाले, उसके लिए जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। अगर जवान अपनी ही हिफाजत को लेकर चिंतित रहेंगे तब वे देश की सुरक्षा का दायित्व नहीं निभा पाएंगे और न ही देश को भरोसा दिला पाएंगे। साथ ही दूसरे दलों को भी चाहिए कि वे जवानों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का सम्मान करें और वोट की खातिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने से बाज आएं।

घनश्याम तिवारी
(वरिष्ठ पत्रकार)

सम्पादकीय

भाजपा को झटका

नरेन्द्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर रिलीज डेट से ठीक एक दिन पहले रोक लगाई गई है। यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ-साथ, एनटीआर लक्ष्मी और उद्यमा सिम्हम जैसी फिल्मों के खिलाफ की गई शिकायतों पर यह फैसला लिया है। इन फिल्मों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है, इनमें आदर्श आचार संहिता के अनुरूप समान अवसरों को प्रभावित करने की क्षमता है और जब तक आदर्श आचार संहिता लागू है, तब तक इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमा में नहीं दिखाया जाना चाहिए। दरअसल इस फिल्म का शुरू से ही काफी विरोध हो रहा था। चुनाव आयोग से पहले भी इस फिल्म को रिलीज किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का दावा था कि फिल्म चुनाव में भाजपा को अनुचित लाभ देगी और चुनाव समाप्त होने तक इसके रिलीज को टाल दिया जाना चाहिए। लेकिन तब चुनाव आयोग ने इस मामले में किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था। शीर्ष अदालत ने फिल्म पर रोक की मांग करने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, यह देखना चुनाव आयोग का काम है।

मंगलवार को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गेंद चुनाव आयोग के पाले में आ गई थी। इसके बाद बुधवार को चुनाव आयोग ने इस बायोपिक पर रोक लगाने का फैसला किया है। फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग पर लीड भूमिका निभा रहे विवेक ओबेराय का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग इस तरह से ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे सीनियर और फेमस वकील ऐसी आम फिल्म पर याचिका दायर करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पता नहीं वे फिल्म से डरते हैं या चौकीदार के डंडे से। जाहिर है विवेक ओबेराय के साथ-साथ भाजपा को भी फिल्म पर रोक लगने से निराशा हुई होगी। लेकिन विवेक ओबेराय का यह तर्क अजीब है कि वे इसे आम फिल्म बता रहे हैं। अगर फिल्म इतनी ही आम है, तो क्या वे भी इतने आम अभिनेता हैं कि किसी भी साधारण फिल्म में काम कर लें।

बहरहाल, चुनाव आयोग के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट से भी भाजपा को झटका लगा है। रफाएल सौदे पर अब तक मोदीजी हर जगह सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार का तर्क था कि याचिकाकर्ता जो दस्तावेज पेश कर रहे हैं, वे चोरी के हैं साथ ही गोपनीय हैं और इन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया है। यानी अब रफाएल सौदे पर फिर से सुनवाई होगी।

फिलहाल यह कहना तो कठिन है कि अदालत के इस फैसले का मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि विपक्षी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरेंगे, जिसकी शुरुआत आज राहुल गांधी ने अपने नामांकन के साथ कर भी दी है, और भाजपा को इस पर जवाब देना कठिन होगा।